आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री विजय पाल राव, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 505/इंदौर/2018
निर्धारण वर्ष : 2010-11

मे. भारती एयरटेल लि., मेट्रो टॉवर, 3री मंजिल, स्कीम नं. 54, विजय नगर के पास, इंदौर	बनाम	आयकर उपायुक्त(टीडीएस), टीडीएस रेंज, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
टैन- बीपीएलबी01146एफ TAN- BPLB01146F		

अपीलार्थी की ओर से	श्री सुमित नेमा, सिनियर एडवोकेट तथा श्री गगन तिवारी, एडवोकेट
राजस्व की ओर से	श्री पी.के.मिश्रा, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	16.05.2023
उद्घोषणा तिथि	01.06.2023

आदेश

श्री बी.एम.बियाणी, लेखा सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-2, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.03.2018 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर उपायुक्त-टीडीएस, इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201(1)/201(1ए) सहपठित धारा 263 के अधीन विरचित आदेश दिनांक 19.06.2014 से उद्भूत है ।

2. इस अपील के संबंध में, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि धारा 201(1)/201(1ए) के अधीन विरचित मूल आदेश दिनांक 19.06.2014 जिससे समस्त कार्यवाही

उद्भूत हुई है, वह आयकर आयुक्त-टीडीएस, भोपाल द्वारा अधिनियम की धारा 263 के अधीन पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 27.03.2014 के अनुसरण में पारित किया गया था । तत्पश्चात निर्धारिती ने कथित पुनरीक्षण आदेश के विरूद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ के समक्ष आ.अ.सं. 411/इंदौर/2014 में अपील दाखिल की थी । विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निवेदन किया कि कथित अपील आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ द्वारा पहले ही आदेश दिनांक 14.09.2022 के द्वारा निर्णयित की जा चुकी है जिसमें कथित पुनरीक्षण आदेश को निरस्त किया गया है । परिणामतः आक्षेपित आदेश दिनांक 19.06.2014 स्वतः ही निरस्त हो गया है । अतः विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने निर्धारिती द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध दाखिल यह अपील निष्फल (infructuous) होने के कारण इसे वापस लिए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया ।

3. विद्वान विभागीय प्रतिनिधि द्वारा इस अनुरोध का विरोध नहीं किया गया है ।

4. दोनों पक्षों के उपरोक्त निवेदनों की दृष्टि में हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 01.06.2023 को खुले न्यायालय उद्घोषित किया गया ।

हस्ता/-	हस्ता/-
(विजय पाल राव)	(बी.एम. बियाणी)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 01.06.2023

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल